प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला दिनाँक 13.11.2026

थाना रमाला पुलिस द्वारा ग्राम गोपालपुर खड़ाना में दीपावली की रात्रि को पड़ोसियों के मध्य हुई गोलाबारी की घटना में राष्ट्रपति भवन में तैनात सुरक्षा गार्ड सौरभ कुमार को गोली लगने के संबंध में थाना रमाला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 251/2026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस में वांछित 10-10 हजार रुपये के 02 इनामी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनमें से 01 अभियुक्त घायलावस्था में गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे .315 बोर, 02 जिंदा एवं 03 खोखा कारतूस बरामद ।



संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 09.11.2026 को थाना रमाला पर वादी जनकराज पुत्र स्व0 सोहनवीर निवासी ग्राम गोपालपुर खड़ाना, थाना रमाला, जनपद बागपत द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्तों 1. धीरज पुत्र इन्द्रपाल एवं 2. मोनू उर्फ प्रवीन पुत्र इन्द्रपाल निवासीगण ग्राम गोपालपुर खड़ाना, थाना रमाला, जनपद बागपत द्वारा हाथ में अवैध तमंचा एवं लाठी-डण्डे लेकर जान से मारने की नीयत से वादी के पुत्र सौरभ को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया तथा दूसरे पुत्र विनीत के सिर में डण्डा मारकर घायल कर दिया। साथ ही गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार

पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 **251/2026** धारा **109(1)/115(2)/352/351(3)** बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में द्वारा ग्राम गोपालपुर खड़ाना में दीपावली की रात्रि को पड़ोसियों के मध्य हुई गोलाबारी की घटना में राष्ट्रपति भवन में तैनात सुरक्षा गार्ड सौरभ कुमार को गोली लगने के संबंध में थाना रमाला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 251/2026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस में वांछित 10-10 हजार रुपये के इनामी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिनांक 13.11.2026 को थाना रमाला पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश कर रही थी। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि उक्त अभियोग में वांछित/ईनामी अभियुक्तगण 1. धीरज पुत्र इन्द्रपाल एवं 2. मोनू उर्फ प्रवीण पुत्र इन्द्रपाल निवासीगण ग्राम गोपालपुर खड़ाना, थाना रमाला, जनपद बागपत, बूढ़पुर रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते पर ट्यूबवेल के पीछे मौजूद हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर अभियुक्तगण की घेराबंदी की गई। इस दौरान अभियुक्तगण द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में 01 अभियुक्त घायल हो गया, जबकि दूसरा अभियुक्त गन्ने के खेत में घुस गया। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी एवं तलाश के दौरान दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस टीम द्वारा घायल अभियुक्त धीरज उपरोक्त को गिरफ्तार कर तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया।

गिरफ्तार घायल अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त **01** अवैध तमंचा **.315** बोर मय **01** जिन्दा कारतूस एवं **02** खोखा कारतूस बरामद हुआ है तथा अभियुक्त मोनू के कब्जे से घटना में प्रयुक्त **01** अवैध तमंचा **.315** बोर मय **01** जिन्दा कारतूस एवं **01** खोखा कारतूस बरामद हुआ है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-धीरज पुत्र इन्द्रपाल निवासी ग्राम गोपालपुर खड़ाना थाना रमाला जनपद बागपत। **(घायलावस्था में)**

2-मोनू उर्फ प्रवीण पुत्र इन्द्रपाल निवासी ग्राम गोपालपुर खड़ाना थाना रमाला जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त धीरज का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 121/2015 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत।

2.मु0अ0सं0 302/15 धारा 3/4 उ0प्र0 गुण्डा अधि0 थाना रमाला जनपद बागपत।

3.मु0अ0सं0 318/15 धारा 110(g) दं0प्र0सं0 थाना रमाला जनपद बागपत।

4. मु0अ0सं0 251/2026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना रमाला जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त मोनू का आपराधिक इतिहास

1-मु0अ0सं0 251/2026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना रमाला जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 02 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस एवं 03 खोखा कारतूस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.प्र0नि0 श्री राकेश कुमार शर्मा थाना रमाला जनपद बागपत।

2.उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।

3.उ0नि0 श्री युवनीश कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।

4.उ0नि0 श्री वृक्षपाल सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।

5.उ0नि0 श्री सनव्वर अली थाना रमाला जनपद बागपत।

6.है0का0 856 अम्बुज राठी थाना रमाला जनपद बागपत।

7.है0का0 60 पंकज कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।

8.है0का0 781 नीरज कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।

9.है0का0 753 सन्दीप थाना रमाला जनपद बागपत।

10.है0का0 819 दोसेन्द्र थाना रमाला जनपद बागपत।

11.है0का0 814 कृष्ण कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।

12.का0 563 अनिल कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।

13.रि0का0 352 राजकान्त थाना रमाला जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 13.11.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा जिला न्यायालय परिसर में कोट की जेब से पर्स चोरी करने के सम्बन्ध में थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 733/26 का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किये गये 650 रूपये नगद बरामद ।



संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.10.2026 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी सतेन्द्रपाल शर्मा एडवोकेट चैम्बर नं0 38 H ब्लॉक जिला न्यायालय परिसर बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा उसके कोट की जेब से उसका पर्स चोरी कर लिया गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 733/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त सरताज पुत्र अनवार निवासी ग्राम परसौली थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर का नाम प्रकाश में आया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वांछित/चोरों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 733/26 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सरताज पुत्र अनवार निवासी ग्राम परसौली थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किये हुए 650 रूपये।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अंकित कुन्तल थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
2-है0का0 650 योगेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
3-का0 463 पवन कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

